scheduled completion of this project in six year time.

Implementation of irrigation projects in Orissa

1021. SHRI SANATAN BISI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the irrigation projects in Orissa which are being implemented with the Central assistance;

(b) whether any monitoring is being conducted from time to time regarding the project and proper utilisation of funds;

(c) whether Government are aware of any corruption in the implementation of Indravati and Rengali projects; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) The following projects in Orissa are receiving Central Loan Assistance / Grants:—

Sl. No.	Name of the Project
1.	Potteru irrigation
2.	Rengali irrigation
3.	Upper Indravati Irrigation
4.	Subernrekha Irrigation
5.	Anandpur Barrage
6.	Upper Kolab Irrigation

(b) There is three tier monitoring of irrigation projects at Central, State and Project level.

(c) Irrigation being a state subject, such matters are not referred to the Centre.

(d) Does not arise.

Release of Fund for Teesta Barrage Project

1022. SHRI DEBABRATA BISWAS: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the stage at which Teeste Barrage Project is presently pending;

(b) the expenses incurred on the project so far;

(c) the amount released by Government;

(d) the time by which the projeet is likely to be completed; and

(e) the bottleneks, if any, affecting the progress in the work and steps taken/ proposed to be taken in regard thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) Presently first sub-stage of Stage-I of Phase I of Teesta Barrage Project is under execution. The percentage completion of various components of the project as on 1.1.98 are as under:—

Teesta Barrage	100%
Mahananda barrage	100%
Dauk Nagar barrage	100%
Teesta Mahananda link canal	100%
Mahananda main canal	100%
Dauk Nagar main canal	65%
Nagar Tongaon main canal	Yet to be started.
Teesta Jaldhaka main canal	55%
Distribution system	25%

(b) An expenditure of about Rs. 672.66 crores has been incurred on the project up to March, 1997.

(c) Planning Commission released Special Central Assistance of Rs. 5 crores in the year 1983-84, an advance plan assistance of Rs. 10 crores in 1986-87 and Rs. 10 crores during 1987-88. Further an additional Central Assistance of Rs. 150 crores was sanctioned by the Planning Commission during the VIII Five Year Plan. Central Loan Assistance of Rs. 5 crores was released for the project during the year 1996-97 and Rs. 15 crores during 1997-98 under the Accelerated Irrigation Benefits Programme (AIBP) of Ministry of Water Resources.

(d) Irrigation is a State subject. Completion of the project will depend on the priority attached to it by the State Government.

(e) Bottlenecks affecting the progress of the project are land acquisition

problems, non-availability of forest land, Shortage of funds, change in scope of the project etc.

There is a Monitoring and Evaluation Division located at Siliguri which monitors the progress of the project regularly. All the Central level monitoring is carried out by Central Water Commission.

सिंचाई परियोजनाओं हेतु योजनाएं

1023. **श्री रामजीलाल:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सिंचाई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गत दो वर्षों के दौरान कौन-कौन सी योजनाएं तैयार की गई हैं;

(ख) परियोजनाएं कहां-कहां लगाई गई हैं और इन परियोजनाओं का कब तक उपयोग किए जाने की संभावना है; और

(ग) भविष्य के लिए कौन सी योजनाएं हैं तथा उनमें से हरियाणा में कितनी परियोजनाएं आरंभ की जाएंगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) सिंचाई राज्य का विषय और सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, वित्त पोषण और कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा स्वयं किया जाता है।

(क) हरियाणा राज्य के नौवीं योजना के प्रलेख में उनके द्वारा किए गये प्रस्ताव के अनुसार नई वृहद सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार हैं:

क्र० सं०	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रु० में)
1.	मेवात लिफ्ट सिंचाई	207.54
2.	घरौंदा सिंचाई	7.45
3.	जत्तीपुर माइनर	2.84
4.	लदवा सिंचाई	25.00
5.	नालवी सिंचाई	113.00

सिंचाई के प्रबंधन में किसानों को कानूनी सहायता दिया जाना

1024. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सिंचाई प्रणाली को बेहतर बनाने हेतु इसके प्रबंधन में किसानों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में दिल्ली में सिंचाई के संबंध में एक राष्ट्रीय सम्मलेन में कुछ सिफारिशें की गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) चूंकि जल राज्य का एक विषय है इसलिए राज्य सरकारों द्वारा अधिनियम पारित करने के लिए आवश्यक वैधानिक सहायता उपलब्ध करायी जानी है। तथापि, जल संसाधन मंत्रालय में राज्य सरकारों को मौजूदा सिंचाई अधिनियमों में संशोधन करने अथवा सिंचाई प्रबंधन में सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए ऐसे नए अधिनियमों के बनाने का परामर्श दिया है जिसके अंतर्गत सिंचाई प्रणाली के प्रबंधन में किसान सक्रिय रूप से भाग ले सके। इस संबंध में राज्य सरकारों को समय-समय पर दिशा निर्देश उपलब्ध कराये गये है।

(ग) और (घ) जी, हां। सहभागिता सिंचाई प्रबंधन पर दिल्ली में जनवरी, 1997 में आयोजित अंतिम राष्ट्रीय सम्मेलन में सिंचाई प्रबंधन में किसानों की सहभागिता के विषय में सिफारिश की गयी थी जिसे संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ङ) जल संसाधन मंत्रालय द्वारा सहभागिता सिंचाई प्रबंधन के कार्यान्वयन के लिये निम्नलिखित कार्रवाई की गयी है:—

जल के राज्य का विषय होने के नाते केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय की भूमिका सुविधादाता की है। जबकि राज्य सरकारों द्वारा सहभागिता सिंचाई प्रबन्धन का कार्यान्वित करना है। राष्ट्रीय जल नीति 1987 में सिफारिश की गयी है कि सिंचाई प्रणाली के प्रबंधन में किसानों को उत्तरोत्तर शामिल किया जाना चाहिए। सिंचाई प्रबंध में किसानों को शामिल करने के लिए उपाय करने के वास्ते राज्यों को दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये है।